कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
बड़कोट (उत्तरकाशी)।

Website- http://pwd.uk.gov.in

e-mail:-eenhpwdbarkot@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं0 01375-224426

पत्रांक:- 3 /02 सी0 दिनांक 02 /1 /2017

सेवा में,

Vindhya Telelinks Limited,
EPG Division,
Plot N0 E-237, Tower Greens,
3rd floor-VIII B, Industrial Ares,
Mohali-160055, Punjad india.

विषय- Laying Optical Fibre Cable Through Aerial Mode (Poles) by Vindhya Telelinks on NH-123(507) from km.11 to 17 And km. 40 to 111.35

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक स0 VTLEPC/TEL/HP/01 दि0 17.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा प्रेषित ड्राफ्ट/चैक संख्या 647808 दिनांक 29.11.2017 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रू0 32,41000.00 इस कार्यालय में प्राप्त किया गया है, जिसके क्रम में Permission For Laying Optical Fibre Cable Through Aerial Mode (Poles) by Vindhya Telelinks on NH-123(507) from km.11 to 17 And km. 40 to 111.35 में ओ0एफ0सी0 केबिल (एरियल मोड़) बिछाने हेतु अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जाती है:-

3. यदि भविष्य में मार्ग चौडीकरण/सुदृढीकरण का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है, तो आपके द्वारा बिछाई गई लाईन आपके विभाग को अपने व्यय पर शिफ्ट करनी पडेगी। यदि निर्धारित समय तक आपके द्वारा उक्त लाईन नही हटाई जाती है तो विभाग को अधिकार होगा कि वह उक्त लाईन को हटा/दबा देगा तथा इस कार्य पर होने वाले व्यय को आपसे वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा यदि केबल लाईन हटाई नही जाती और दबा दी जाती है, तो उस दशा में दबी लाईन की सप्लाई बंद करनी होगी।
4. मार्ग काटने का कार्य पूर्ण सावधानी तथा यातायात की सुरक्षा प्रबन्ध तथा बैरिकेडिंग, रिप्टैसिंग आदि किये जाने के पश्चात किया जायेगा तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करना होगा।
3. सड़क काटते समय यातायात की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये मार्ग के दोनों ओर प्रबन्ध किये जाय, यदि कोई दुर्घटना घटती है, तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व आपका होगा।
4. जिस समय मार्ग काटने का कार्य किया जाये उससे पूर्व लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून को यथासमय सूचित किया जायं।
5. उपरोक्त स्वीकृति दिनांक 30.06.2018 तक वैध है तथा उक्त तिथि के बाद 2 प्रतिशत अधिक धनराशि जमा कर पुनः स्वीकृति लेनी होगी।
6. लाईन बिछाने का कार्य आगणन के अनुसार होने अत्यन्त आवश्यक है। यदि भविष्य में मार्ग को पुनः निर्माण आदि के लिये गहराई पर खोदा जाता है व उससे आपके द्वारा डाली गई लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो उसका कोई भी दावा मान्य नही होगा।
7. सड़क काटने के पश्चात भरी जाने वाली मिट्टी को लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार कम्पैक्शन किया जाना आवश्यक है।
8. खुदाई करते समय पक्के मार्ग की नीचे का ब्लास्ट आदि ट्रेंच के एक ओर तथा खुदाई की मिटटी दूसरी ओर रखी जाय। कार्य पूर्ण होने पर पहले मिटटी भरी जाय, एक दो दिन बाद मिटटी दबाकर फिर खोदा गया ब्लास्ट उसके उपर डाला जाय, मिटटी तथा ब्लास्ट को टैकर से पानी डालकर काम्पैक्ट किया जाय।

क्रमश......2......पर

D:/K.S.Rana /New

Scanned by CamScanner

9. जब कभी लाईन में आपके द्वारा कोई कार्य किया जायेगा तो कार्य करने से पूर्व आवश्यक शुल्क जमाकर अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

10. रोड कटिगं चार्जेज रू0 32,41000.00 जो कि आपके द्वरा ड्राफ्ट/चैक संख्या 647808 दिनांक 29.11.2017 स्टेट बैक में जमा किये गये है व मार्ग को भविष्य में सुचारू रूप से चालू रखनें हेतु व्यय किये जाते है। यह राशि नॉन रिफन्डेबिल है।

11. खुदाई की मिट्टी पक्की सतह पर न डाली/छोडी जाय।

12. आपके द्वारा जमा की गई उक्त धनराशि आगणन के अनुसार है जिसका विवरण आगणन में दिया गया है हेतु ली गई है। यदि कटिंग आगणन में दिये गये क्षेत्रफल से अधिक होती है तो अतिरिक्त कटिंग की धनराशि आपको तुरन्त जमा करानी होगी। यदि आप इस धनराशि को समय पर जमा न कर पाये तो विभाग को अधिकार होगा कि वह वसूली एज ए लैण्ड रैवेन्यू वसूल करवायें जायेंगे तथा इस प्रकार वसूल की जाने वाली धनराशि पर हुये व्यय की वसूली भी आपसे की जायेगी।

13. भविष्य में यदि कोई अन्य दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये जाते है तो उनका पालन करने हेतु आप बाध्य होगें।

14. कार्य कराने से पूर्व पुलिस विभाग से उक्त रोड कटिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0,
बड़कोट (उत्तरकाशी) ।

पत्रॉकः– /02 सी0 दिनांक / /2017

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट को इस आवशय से प्रेषित कि मार्ग कटिंग हो जाने पर काटे गये क्षेत्रफल की वास्तविक विस्तृत सूचना एवं अतिरिक्त कटिग का बिल अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय, यदि निरीक्षण के दौरान इसमें अनियमितता पाई गई तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की होगी।

प्रतिलिपिः– खण्डीय रोकडिया को उपरोक्त ड्राफ्ट सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट को सूचनार्थ ।

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0,
बड़कोट (उत्तरकाशी) ।

D:/K.S.Rana /New

Scanned by CamScanner